न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रेफरेन्स/01/2016

राज.सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर

.......प्रार्थी

बनाम

नायव तहसीलदार कुम्हेर

......अप्रार्थी0

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध नायव तहसीलदार कुम्हेर बाबत फसल कनकूत राशि आदेश दिनांक 10.11.2000 व दिनांक 13.11.2000 को निरस्त किये जाने के बाबत।

उपस्थितः–

राजकीय अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय दिनांक 28.12.2017

प्रार्थी तहसीलदार कुम्हेर ने यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया गया जो संक्षेप इस प्रकार है कि नायव तहसीलदार कुम्हेर ने अपने आदेश दिनांक 10.11.2000 से अतिक्रमी श्री विजयसिंह के विरुद्व 91 एल आर की एक्ट कार्यवाही करते हुये खसरा नम्बर 415 रकवा 1.20 किस्म चारागाह से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। साथ ही निर्णय में पैनल्टी कायम की गई है, किन्तु फसल नीलामी नहीं हुई है। इस प्रकार सम्वत् 2048 लगायत 2055 तक कुल पॉच वर्ष की पैनल्टी सरह लगान का 50 गुना के हिसाब कुल 2620/– कायम की गई है, तथा उक्त पॉच वर्षो का अतिक्रमी द्वारा फसल का लाभ लेना मानते हुये, फसल कनकूत 400/– प्रति वीघा प्रति वर्ष के हिसाब कुल राशि 17400/– कायम की गई है। खड़ी फसल को जप्त कर नीलाम किये जाने की आदेश दिये गये हैं। इसी प्रकार नायव तहसीलदार कुम्हेर ने पत्रावली संख्या 406/2000 उनवानी विजय कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2000 में अतिक्रमी को आराजी खसरा नम्बर 415/1.30 मिन बाके ग्रांम बोरई से बेदखल किये जाने एवं पेनल्टी 585/– कायम की गई है, तथा फसल कीमत 400/–प्रति वीघा के हिसाब 3300/– फसल राशि कनकूत की गई है। प्रार्थी तहसीलदार कुम्हेर ने उक्त दोनों निर्णय 10.11.2000 एवं दिनांक 13.11.2000 निर्णयों के अन्तर्गत नायव तहसीलदार कुम्हेर द्वारा मनमर्जी से फसल की राशि कायम कर वसूली का विधि सम्मत प्रावधान नहीं होने के कारण अनुमानित कनकूत राशि 17400/ व 3300/– रुपये निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर। सम्बन्धित तहत पत्रावली तलब की गईं। नियत दिनांक को पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी तहसीलदार कुम्हेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नायव तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित रेफरेन्स आधीन आदेश दिनांक 10.11.2000 एवं दिनांक 13.11.2000 में फसल की गई कनकूत राशि को विधि विरुद्व बताते हुये 400/– प्रति वीघा के हिसाब से पूर्व वर्षो की आराजी पर अतिकमी द्वारा काश्त की गई फसल की अनुमान के आधार पर जिस प्रकार कनकूत की गई है। जो नियमों के विपरीत होने से कायम की कनकूत फसल राशि क्रमशः राशि 17400/– व 3300/– को निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त नायव तहसीलदार ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि पूर्व के विगत पांच वर्षो में विवादित आराजी पर अतिकमी द्वारा कितनी कितनी फसल (खलियान) उठाया गया है। उनका यह भी कहना है कि पिछले अलग अलग पांच वर्षों के अतिकमी फसल का अनुमान के आधार पर पॉच साल बाद जिस प्रकार फसल राशि कनकूत की गई वह नायव तहसीलदार की मनमर्जी का आदेश है जो नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार के कथनों पर मनन किया गया। पत्रावली तहत के अवलोकन से जाहिर है कि नायव तहसीलदार कुम्हेर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.11.2000 एवं दिनांक 13.11.2000 में अतिकमी द्वारा अतिकमित आराजी खसरा नम्बर 415 में पूर्व विगत पॉच वर्षों में, काश्त की गई फसल के बेदखली आदेश एवं पैनल्टी आदेश के अन्तर्गत अतिकमी द्वारा पैनल्टी राशि समय समय पर जमा कराई जाती रही है। तथापि आदेशो के द्वारा पेनल्टी राशि जमा कराये जाने के बाबजूद भी पॉच वर्ष बाद अनुमान के आधार पर फसल अतिकमी द्वारा लाभ प्राप्त करना मानते हुये नियमों के विरुद्व पिछले पॉच वर्षों की फसल का अनुमान के आधार फसल कनकूत राशि वसूली योग्य माना है, उसका विगत पॉच वर्षों की फसल का जो अनुमान ना. तहसीलदार ने लगाया है उसका कोई आधार आदेश में अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार भूमिधारी तहसीलदार कुम्हेर ने नायव तहसीलदार कुम्हेर द्वारा कनकूत की गई राशि आदेश को नियम विरुद्व मानते हुये निरस्त कराने की प्रार्थना की गई है। पैरोकार सरकार ने भी तहसीलदार कुम्हेर के प्रार्थना पत्र रेफरेस को स्वीकार योग्य बताया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण स्वीकार किया जाकर नायव तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित कनकूत राशि की हद तक आदेश दिनांक 10.11.2000 एवं दिनांक 13.11.2000 को निरस्त कराये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रेफरेन्स माननीय राजस्व मंडल अजमेर को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे नायव तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित विधि विरुद्व पारित मनमर्जी(फसल कनकुत राशि) आदेश दिनांक 10.11.2000 एवं दिनांक 13.11.2000 को फसल कनकूत राशि की हद तक निरस्त किया जावे। पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 13.3.2018 को पेश हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार कुम्हेर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2017 को सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official